प्रेषकः–

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बरेली मण्डल बरेली।

सेवा मे,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः सी0बी0एस0ई0 / /2025–26 दिनांक 04 / 04 / 2025

विषयः– **श्री चैतन्य टैक्नो स्कूल, संजय नगर रोड, दुर्गानगर–बरेली को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने विषयक।**

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक अवगत कराना है कि "शासनादेश सं0: शिक्षा अनुभाग–7, 1916 / 15–7–2009–1(290) / 2007 दिनॉकः 14 जुलाई, 2009 के संदर्भ में मण्डल स्तर पर गठित समिति के निर्णय दिनॉकः 03.04.2025 के कम में **श्री चैतन्य टैक्नो स्कूल, संजय नगर रोड, दुर्गानगर–बरेली** को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

01– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

02– विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

03– विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी छात्र / छात्राओं के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

04– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली / कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

05– सस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

06– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

07– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें, संस्था उसका पालन करेगी।

08– विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

09– उक्त शर्तो मे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों के साथ ही निम्न शर्तो का अनुपालन भी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

क– विद्यालय के पास 4000.00 वर्गमीटर से अधिक भूमि होने की स्थिति में सी0बी0एस0ई0 बोर्ड बायलॉज के चैप्टर 3 (क्लॉज 3.4) में उल्लिखित प्रतिबन्ध के साथ सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

ख– संस्था द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांकः 02.04.2025 ऑपबन्धिक(प्रोविजनल) होने की स्थिति में विद्यालय का अवशेष निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त तत्समय ही अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत पूर्णता(कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाण प्रत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल बरेली को उपलब्ध कराया जाएगा।

उक्त का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा साथ ही शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे, संस्था/विद्यालय उसका अनुपालन करेगी, यदि उक्त प्रतिबन्धों एवं आदेशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल बरेली।

पृ०सं०: सी०बी०एस०ई/ 115-21 /2025-26 तददिनॉक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
2- शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, बरेली।
4- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।
5- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, श्री चैतन्य टैक्नो स्कूल, संजय नगर रोड, दुर्गानगर-बरेली।
6- निरीक्षक, आंग्ल भाषा, भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।